

जिला निबंधक/जिला स्टाम्प अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदत्त भेवाएँ

- लेखपत्रों के निबंधन तथा इंडेक्स
 - लादावा लेखपत्रों की वापसी
 - नकल-अति आवश्यक
- (क) यदि प्रातः 12-00 बजे से पूर्व रसीद जारी हुई तो
- (ख) यदि रसीद 12-00 के पश्चात कटी है तो
- नकल आवश्यक

प्रस्तुतीकरण के दिनांक को ही 4 बजे से 5 बजे के बीच। रसीद प्रस्तुत करने के बाद कार्य दिवस पर 4 से 5 बजे तक

रसीद काटने के दिनांक को ही सायं 4 से 5 बजे के बीच

अगले कार्य दिवस पर सायं 4 बजे से 5 बजे के बीच

तीसरे कार्य दिवस पर सायं 4 से 5 बजे के बीच

कलेक्टन के कार्यालय द्वारा प्रदत्त भेवाएँ

- स्टाम्पवाद में प्रथम नोटिस प्रेषित करना
- स्टाम्पवाद के निर्णय की घोषणा
- वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना

वाद प्राप्त होने के 7वें कार्य दिवस से पूर्व स्टाम्पवाद प्राप्त होने के पश्चात 90 दिन के भीतर निर्णय के दिनांक से 30 दिन के बाद एक सप्ताह की अवधि में

उप निबंधक कार्यालय द्वारा प्रदत्त भेवाएँ

- लेखपत्रों के निबंधन तथा इंडेक्स के पश्चात वापसी
 - नकल-अति आवश्यक
- (क) यदि प्रातः 12-00 बजे से पूर्व रसीद जारी हुई तो
- (ख) यदि रसीद 12-00 के पश्चात जारी हुई है तो
- नकल आवश्यक
 - नकल साधारण
 - भारमुक्ति प्रमाण-पत्र

प्रस्तुतीकरण के दिनांक को ही 4 बजे से 5 बजे के बीच

रसीद काटने के दिनांक को ही सायं 4 से 5 बजे के बीच

अगले कार्य दिवस पर सायं 4 बजे से 5 बजे के बीच

तीसरे कार्य दिवस पर 4 बजे से 5 बजे के बीच

चौथे कार्य दिवस पर 4 बजे से 5 बजे के बीच



1. आवश्यक

- (क) यदि रसीद प्रातः 12 बजे से पहले काटी गई है तो
- (ख) यदि रसीद 12 बजे के पश्चात काटी गई है तो

तीसरे कार्य दिवस को 4 से 5 बजे के बीच

चौथे कार्य दिवस पर 4 बजे से 5 बजे के बीच

2. साधारण

- हिन्दू विवाह प्रमाण-पत्र

पाँचवें कार्य दिवस पर 4 बजे से 5 बजे के बीच

दूसरे कार्य दिवस पर 4 बजे से 5 बजे के बीच

वर्तमान में लेखपत्रों पर निम्नानुसार स्टाम्प शुल्क देय है :

क्र.सं.	लेखपत्र का प्रकार	शुल्क की वर्तमान दर (बाजारी दर पर)
01.	विक्रय पत्र/बैनामा	नगर पालिका से 5 किमी० के अन्दर 100 रु० प्रति हजार नगर पालिका से 5 किमी० के बाहर 80 रु० प्रति हजार
02.	दान पत्र	नगर पालिका से 5 किमी० के अन्दर 145 रु० प्रति हजार पालिका से 5 किमी० के बाहर 125 रु० प्रति हजार